HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2104/2026

Murli S/o Sunder, Aged About 30 Years, R/o Kacchi Bsti, Hammir Bridge Ke Niche, Bajriya, Sawai Madhopur (Rajasthan) (At Present Confined In District Jail, Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मानटाउन, जिला–सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी पर यह अभियोग है कि उसके आधिपत्यशुदा दुकान से बिना वैध अनुज्ञापत्र के ग्लोबस नींबू देशी स्पेशल शराब की चार पेटियां, जिनमें कुल 192 पव्वे, किंग फिशर स्ट्रॉग बीयर कुल 32 बोतल, किंग फिशर सुपर स्ट्रॉग बीयर केन कुल 14 बोतल, मेक्डोल रम के कुल 20 पव्वे, मेक्डोल नंबर 01 विस्की के कुल 13 पव्वे, रॉयल स्टेज विस्की कुल 18 पव्वे, काउंटी क्लब बिस्की के कुल 23 पव्वे, व्हाईट लेक वोदका के कुल 13 पव्वे मिले। उनका तर्क है कि जिस समय की बरामदगी बताई गई है, उस समय प्रार्थी मौके पर नहीं था। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 23.01.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। एक प्रकरण जो उसके विरूद्ध संस्थित होना बताया

गया है, वह धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित होकर वर्ष 2013 का है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्यशुदा दुकान से बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के ग्लोबस नींबू देशी स्पेशल शराब की चार पेटियां, जिनमें कुल 192 पव्वे, किंग फिशर स्ट्रॉग बीयर कुल 32 बोतल, किंग फिशर सुपर स्ट्रॉग बीयर केन कुल 14 बोतल, मेक्डोल रम के कुल 20 पव्वे, मेक्डोल नंबर 01 विस्की के कुल 13 पव्वे, रॉयल स्टेज विस्की कुल 18 पव्वे, काउंटी क्लब बिस्की के कुल 23 पव्वे, व्हाईट लेक वोदका के कुल 13 पव्वे मिले हैं, जो भारी मात्रा है। प्रकरण में आरोपपत्र किता किया जा चुका है, लेकिन अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर यह अभियोग है कि उसने अपने आधिपत्यशुदा दुकान में लगभग 60 लीटर शराब बिना वैध अनुज्ञापत्र के रखा। बरामदगी के समय प्रार्थी–अभियुक्त मौके पर उपस्थित नहीं था। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 23.01.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध संस्थित पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण 379 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित होकर वर्ष 2013 का है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों

पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /58